

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 77/2023

प्रार्थी-	बनाम	अप्रार्थीगण-
1. श्री मानाराम पुत्र बीजाराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम पादरू हाल कुण्डल, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1. श्री ग्राम पंचायत पादरू, पंचायत समिति सिवाना तहसील, सिवाना 2. श्री नेकसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी पादरू, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। 3. श्री गौतम पुत्र धन्नाराम जाति सुथार, निवासी कुण्डल रोड़ पादरू, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरुद्ध पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.10.2009 जो अप्रार्थीगण सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत पादरू द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

- श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- श्री दिनेश कुमावत, अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :26.03.2025

- प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पादरू द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.10.2009 के विरुद्ध दिनांक 08.02.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
- प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पादरू द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा पादरू में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.10.2009 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1941 वर्ग फीट दर्शाया गया है तथा पड़ोस बदिशा उत्तर में 31,62 फीट चन्दनसिंह/मंगलसिंह, बदिशा दक्षिण में 34,62 फीट व मदन खा, कादर खा, तालमखा, पूर्व में 27,06 फीट नजीर खां एवं पश्चिम में 31,27 फीट व आम रास्ता




जिला कलक्टर
बालोतरा

आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत पादरू से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा पेश जवाब में कथन किया कि मौजा पादरू में उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का पैतृक नहीं है, क्योंकि प्रार्थी ग्राम पादरू का रहवासी नहीं होकर प्रार्थी का पैतृक गांव कुण्डल है। उक्त भूखण्ड पर कोजाराम के पुत्र पांचाराम का झुपा व एक ओरा बना हुआ था तथा कब्जा व रहवास था। पांचाराम ने उक्त भूखण्ड को रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये सांवलराम पुत्र टीकमाराम जाति स्वर्णकार को कर दिया। बाद में सांवलराम ने उक्त भूखण्ड को दिनांक 19.02.1980 को उप पंजीयक कार्यालय सिवाना में पंजिबद्ध करवाकर पारसमल पुत्र धनराजजी ओसवाल को रजिस्टर्ड बेचाननामा कर दिया। तत्पश्चात् पारसमल के वारिसान कांतीदेवी, विक्रम, सुरेश ने उसी भूखण्ड को जरिये इकरारनामा दिनांक 08.03.2009 को नेकसिंह पुत्र अमरसिंह व चंदनसिंह पुत्र मंगलसिंह को बैचान कर दिया। बाद उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा रहा। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हकपूर्वाधिकारियों के समय 50 साल पुराना कब्जा व निर्माण होने से उक्त आलोच्य भूखण्ड का पंचायतीराज नियम 157(1) की पालना करते हुए पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.10.2009 को अप्रार्थी संख्या 1 से जारी करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 नेकसिंह ने अपनी पट्टासुद भूखण्ड को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 18.12.2009 को अप्रार्थी संख्या 3 गौतम ने खरीद लिया। ठाकुर प्रेमसिंह ने अप्रार्थी संख्या 3 की दो मंजिला इमारत के आगे रास्ते व चौक की भूमि की तरफ आगे दीवार का निर्माण कर दिया गया। प्रेमसिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की, जिसमें सिविल न्यायालय सिवाना के आदेश को यथावत रखते हुए अतिक्रमण हटाया गया। प्रेमसिंह की बात नहीं बनने से एक अनजान व्यक्ति जिसका उक्त भूखण्ड का कोई लेना देना नहीं होने से भी यह निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर पेश करवाई गई। विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा मौजूद नहीं रहा क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा फर्जी होना बताया गया, लेकिन प्रार्थी द्वारा फर्जी पट्टा होने के संबंध में किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पूर्ण नियम के प्रावधानों की पालना करते हुए उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधारित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है, जो निगरानी को खारीज की जाए।



जिला कलेक्टर
बालोतरा

5. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी का पैतृक आवासी भूखण्ड मौजा पादरू के बमौहल्ला मेघवालों की बास में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत पादरू द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो फर्जी है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के दादा कोजाराम जी का काफी समय से पुराना कब्जा था। कोजाराम के दो संतान थी पांचाराम एवं प्रार्थी के पिताजी बीजाराम तथा पांचाराम थे। पांचाराम अविवाहित ही फौत होने से उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के पिताजी बीजाराम का परिवार रहते थे। प्रार्थी 3 वर्ष का था तब प्रार्थी के पिताजी का देहांत हो गया और प्रार्थी के माताजी पीहर में रहवास करने लगी। समय समय पर आकर उक्त भूखण्ड का सार संभाल करती रही। प्रार्थी के कम उम्र में पिताजी का फौत होना एवं माताजी का नाता तथा बाद में मजदूरी के लिये बाहर चला गया तथा कभी कभी आकर सार संभाल करता था। उक्त भूखण्ड मेरे बाप दादा का पैतृक भूखण्ड है तथा इसी भूखण्ड मय ठांव में मेरे बाप दादा रहवास करते आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 2 आदतन आपराधिक व अतिक्रमी भू माफिया व्यक्ति है, जो भूमियों को हड़प करने का कार्य करने की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी गैंग बना रखी है जो खाली पडे भूखण्ड पर अतिक्रमण कर फर्जी पट्टे तैयार करवाकर भूखण्ड पर कब्जा कर लेते हैं। प्रार्थी मजदूरी के लिए बाहर होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त भूखण्ड का फर्जी पट्टा तैयार कर दिया तथा उक्त भूखण्ड का कब्जा कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व का पैतृक है, जिसको हड़पने की नियत से अप्रार्थी ने फर्जी पट्टा तैयार किया है, जो अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आलोच्य पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.10.2009 को जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।
6. अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा पंचायतीराज के नियम 157 (क) के तहत जारी किया गया है, जबकि उक्त के तहत केवल पुराने आवासीय गृहों का ही पट्टा जारी कर सकते हैं जिसमें 50 वर्षों का कब्जा व रहवास हो। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पैतृक कब्जा सुदा है। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं वर्ष 2009 में 38 वर्ष बताया गया है, जबकि उक्त नियम के तहत पट्टा 50 वर्ष का कब्जा होने पर जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त भूखण्ड का फर्जी बेचाननाम तैयार करवाकर उक्त आलोच्य भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर विधि विरुद्ध जारी करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष आलोच्य पट्टा पंचायतीराज अधिनियम के नियम के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया है, जो सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना नहीं करने पर उक्त आलोच्य पट्टा खारीज योग्य है।
7. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि मौजा पादरू में उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का पैतृक नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने पैतृक स्वामित्व की पुष्टि हेतु ऐसा कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी का पैतृक गांव पादरू है। इस प्रकार प्रार्थी का पैतृक गांव कुण्डल है, न कि पादरू। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के पिता बीजाराम का कब्जा नहीं रहा, बीजाराम अपने ससुराल कुण्डल में रहवास करता था। उक्त



जिला कलेक्टर
जालोतरा

भूखण्ड पर कोजाराम के पुत्र पांचाराम का झुपा व एक ओरा बना हुआ था तथा कब्जा व रहवास था। पांचाराम ने उक्त भूखण्ड को रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये सांवलराम पुत्र टीकमाराम जाति स्वर्णकार को कर दिया। बाद में सांवलराम ने उक्त भूखण्ड को दिनांक 19.02.1980 को उप पंजीयक कार्यालय सिवाना में पंजिबद्ध करवाकर पारसमल पुत्र धनराजजी ओसवाल को रजिस्टर्ड बेचाननामा कर दिया। तत्पश्चात् पारसमल के वारिसान कांतीदेवी, विक्रम, सुरेश ने उसी भूखण्ड जरिये इकरारनामा दिनांक 08.03.2009 को नेकसिंह पुत्र अमरसिंह व चंदनसिंह पुत्र मंगलसिंह को बैचान कर दिया। खरीदसुदा भूखण्ड पर नैकसिंह व चंदनसिंह का कब्जा रहा है। बाद उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा रहा। अप्रार्थी संख्या 2 ने कभी भी किसी का भूखण्ड पर अवैध कब्जा नहीं किया और न ही फर्जी पट्टा जारी करवाया गया। अगर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा फर्जी पट्टा बनाया होता तो, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ अवश्य कार्यवाही करता है, लेकिन प्रार्थी द्वारा आज तक फर्जी पट्टे से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हकपूर्वाधिकारियों के समय 50 साल पुराना कब्जा व निर्माण होने से उक्त आलोच्य भूखण्ड का पंचायतीराज नियम 157(1) की पालना करते हुए पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.10.2009 को अप्रार्थी संख्या 1 से जारी करवाया गया तथा उप पंजीयक कार्यालय सिवाना में पंजिबद्ध करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 नेकसिंह ने अपनी पट्टासुद भूखण्ड को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 18.12.2009 को अप्रार्थी संख्या 3 गौतम ने खरीद लिया तथा दोनो भूखण्ड को एक भूखण्ड बनाकर उप दो मंजिला मकान तामीर करवा दिया। गांव पादरू का ठाकुर प्रेमसिंह नेकसिंह व चंदनसिंह का घोर विरोधी है। ठाकुर प्रेमसिंह ने अप्रार्थी संख्या 3 की दो मंजिला इमारत के आगे रास्ते व चौक की भूमि की तरफ आगे दीवार का निर्माण कर दिया गया। इस हेतु प्रेमसिंह वगैरा के विरुद्ध सिविल न्यायालय सिवाना में दावा पेश किया गया, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर मकान के आगे निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया गया। इसके विरुद्ध में प्रेमसिंह ने जिला न्यायालय बालोतरा में अपील पेश की तथा न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। बाद में प्रेमसिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की, जिसमें सिविल न्यायालय सिवाना के आदेश को यथावत रखते हुए अतिक्रमण हटाया गया। प्रेमसिंह की बात नहीं बनने से एक अनजान व्यक्ति जिसका उक्त भूखण्ड का कोई लेना देना नहीं होने से भी यह निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर पेश करवाई गई। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधारित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है।

8. अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस यह भी प्रकट किया कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा मौजूद नहीं रहा क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होना प्रतीत होता है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा के संबंध में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया, लेकिन प्रार्थी के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित की गई है तथा यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा प्रार्थी पर नहीं डाला



जिला कलेक्टर
बालोतरा

जा सकता है तथा न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में पत्रावली के अभाव में परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। ठाकूर प्रेमसिंह के परिवार उनके चेहते व्यक्तियों का ग्राम पंचायत पादरू पर लम्बे समय तक आधिपत्य रहा है, जिससे पट्टा पत्रावली में फेरबदल करने व पत्रावली को गायब कराने से इंकांन हीं किया जा सकता है। आज भी ठाकूर प्रेमसिंह के परिवार का सदस्य ही सरपंच है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा फर्जी होना बताया गया, लेकिन प्रार्थी द्वारा फर्जी पट्टा होने के संबंध में किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पूर्ण नियम के प्रावधानों की पालना करते हुए उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

9. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.10.2009 को ग्राम पंचायत की ओर से जारी आलोच्य पट्टा विलेख सं. 32 के विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खरीद किया हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या 2 से अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त भूखण्ड खरीद किया हुआ है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा है। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें सांवलराम पुत्र श्री टीकमजी जाति स्वर्णकार उक्त भूखण्ड को पारसमलजी पुत्र धनराज जी जाति ओसवाल डेलरीया को दिनांक 22.01.1980 को जरिये पंजीबद्ध बेचान किया गया तथा दिनांक 22.01.1980 उप पंजीयन सिवाना द्वारा पंजीबद्ध कर क्रमांक 826 दिनांक 22.01.1980 पर इंद्राज किया गया, होना पाया गया। पारसमल के वारिसान द्वारा श्री नैकसिंह पुत्र अमरसिंह व चन्दनसिंह पुत्र मंगलसिंह को आधा आधा दिनांक 4.03.2009 को जरिये इकरारनामा बेचान किया गया। नेकसिंह पुत्र अमरसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये पंजीबद्ध दिनांक 01.01.2015 को बेचान किया गया तथा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 209 क्रमांक 201503096100002 दिनांक 01.01.2015 को कार्यालय उप पंजीयक सिवाना द्वारा पंजीबद्ध किया गया, होना पाया गया। साथ ही प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड के संबंध में स्वामित्व की पुष्टि एवं संयुक्त पैतृक संपत्ति हेतु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी के स्वामित्व एवं संयुक्त पैतृक संपत्ति का है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा प्रार्थी का न होकर अप्रार्थी का होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रश्नगत पट्टा फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत पादरू द्वारा मिसल सं. 82/2009-10 पर पंचायत की बैठक में मिसल फैसल दिनांक 05.10.2009 में पारित संकल्प सं. 5 दिनांक 05.10.2009 के अनुसरण में आलोच्य पट्टा सं. 32 दिनांक 05.10.2009 को जारी किया गया है, होना पाया गया। उक्त प्रश्नगत पट्टा कार्यालय उपपंजीयक, सिवाना द्वारा पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 115, पृष्ठ संख्या 89, क्रम संख्या 2009003926 पर




जिला कलेक्टर
बालोतरा

पंजीबद्ध करते हुए दिनांक 18.12.2009 को पंजीबद्ध किया गया है, होना पाया गया। अगर उक्त आलोच्य पट्टा फर्जी होता तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ अवश्य कार्यवाही करवाता, लेकिन फर्जी पट्टा होने के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज पत्रावली के संलग्न नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य पट्टा फर्जी होना प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर कार्यालय पंचायत समिति सिवाना के आदेश क्रमांक/पंससि/2024/1848 दिनांक 27.03.2024 के पत्र में अवगत कराया गया है कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित मूल रेकॉर्ड ग्राम पंचायत पादरू में जांच करने पर पाया गया उक्त पट्टा संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिसे पेश नहीं किया जा सकता, होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित किया जाना पाया जाता है तथा यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा अप्रार्थी पर नहीं डाला जा सकता है तथा पत्रावली के अभाव में परीक्षण किया जाना संभव नहीं। साथ ही जहां तक प्रार्थी का कथन है कि उक्त विवादित भूखण्ड पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है तो इसके समर्थन में प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हों कि भूखण्ड पैतृक स्वामित्व का है। यद्यपि रिकॉर्ड पर पट्टे संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं है, फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे कि उक्त 2009 में जारी किये गये आलोच्य पट्टे को कुटरचित मानकर निरस्त किया जा सके। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक-अधिकार होना मानता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप आलोच्य पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.10.2009 को बहाल रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार)

जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर

बालोतरा

